[Shrimati Margaret Alva]

Madam, a lot has been said about the feeder airlines—Vayudoot. I am not holding brief for any individual or any person. But just look for a minute at the figures which are published, of course, by the new Government and not by us. .And the Vayudoot revenue growth is given. From 1084-85 when it was . Rs. . 5 crores, in 1989-90, it has crossed Rs. 45 crores. I am just saying that here is an airline which has got also to meet the social costs. . Many people are today saying, 'Oh, why have it? It is not a profitable business; it is not this and it is not that.' I want to ask you:

..... Does every train in this coun-

6 P.M. try run as a profitable business? In the North-East, where you are linking the remotest parts, where the trains may not go and roads are not developed, it is the Vayudoot which is known, it is the Vayudoot which represents the unity and integrity of India. It is the Vayudoot which represents the unity of India in these parts, besides the Doordarshan and the All-India" Radio. This is the only link with the people in these remotest parts. It has to be subsidised. Even if this means a certain amount of loss, this cost we have to pay from the exchequer for holding these remotest parts of the country with us. We find that whenever a question in regard to air services comes up in the House, every Member stands up and says "There should be a Vayudoot service to my town, to my part of the country, to my area'. (Time-bellrings3 Madam, this is not the end of my speech?

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is not the end of your speech. This is the end of the. time allotted for the discussion today. We have a Half-an-hour Discussion to be raised, by Mr. Naresh Puglia. I would remind hon. Members, before I ask Mr. Puglia to speak, that they cannot consider this to be a *suo motu* statement made by the Minister and start sending their names. It will become a, big list. This only concerns the hon. Member who is going to raise the discussion and the Minister. After the Member concerned speaks briefly and the Minister replies, I may permit one or two people, but not every-body. (*Interruptions*) This is a serious matter. That is why I have allowed you, Mr. Puglia.

SHRI H. HANUMANTHAPPA; Be liberal, Madam. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want that this should be completed at 6.30 P.M.

SHRI NARESH C. PUGLIA: (Maharashtra): Madam, you are from that State.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The whole country is mine. Every subject which is taken up is important for

me. You may start. आंध शार्ट स्थीच दीजिए, ताकि मंत्री जी जवाब दे सके ।

HALF AN HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer given to Starred Question No 82 7 th May 1990 regarding demoltion to private houses etc fo Ghughush Colliery site in Chandrapur

distriet Maharshtra

अो नरेश सी॰ पुगलिया (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदया, मैं सब से पहले भ्रापके माध्यम से सभापति जी का म्रभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए 7 तारीख को जो हमारा स्टार्ड क्वेंश्चन था जिस पर 25 मिनट चर्चा हई, मंत्री महोदय द्वारा उसमें समाधानकारक उत्तर न देने की वजह से पूरे हाउस के सम्मानित सदस्य जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनकी भावनाओं को देखते हए उन्होंने आधे घंटे की चर्चा इस पर मंज्र की है, इसलिए मेरी क्रोर से और जिन हजारों मकान में रहने वाले कोल माइन्ज जिन के मकान बुलडोजर

गिरा |दए गए हैं उनके परिवार की स्रोर से स ापति जी का शुक्रिया ग्रदा करता हूं ।

Half-an-hour

उपसंभःपनि महोदया, मैं जिस चन्द्रपुर जिले से ब्राता हूं उस चन्द्रपुर जिले में कोयले की काफी खदानें हैं, कारेस्ट्स श्रौर मिनरल्ज से भरा हम्रा यह जिला है ग्रौर मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं बतानों चाहंगा कि पिछले साल जब मैंने राज्य सभा में चन्द्रपूर जिले में कोल डिपाजिटस के बारे में जानकारी मांगी थी तो अभी तक जिन तोन ताल्लुका का सर्वे हो। चुका है उन तीन ताल्लुका में 30 हजार करोड़ से ज्यादा डिपाजिट्स हमारे उस जिले में कोल अथारिटी को मिला है । एक तरफ उस जिले की जनता देश को लगने वाला कोयला, जिस कोयले के माध्यम से इस देश ने ग्रीखोगिक क्षेत्र में काफी तरक्की की है, उस कोयले के लिए जिन किसान भाइयों की जमीन लगती है जमीन देते हैं, जिनका मकान लगता है मकान देते हैं, ऐसी हालत में उस जिले में कोल इंडिया ग्रथारिटी की जो वहां सब्सिडियरी कंसर्न है वैस्टर्न कोल फील्डज, डब्ल्यू.सी.एल. के नाम से उसके ग्रधिक रियों ने उस संस्था को एक माफिया का रूप दिया है । हमने बिहार में माफिया सुना था, लकिन डब्ल्य्.सी.एल. के अधिकारी माफिय के रूप में वहां से हमारे नःगपूर में, चन्द्रपुर में, छिदवाड़ा में काम कर रहे हें झौर यह सरकार के लिए, केन्द्र सरकार के लिए और आपकी मिनिस्टी के लिए बहुत शर्म की बात है । उपसभापति महोदया, मैं ग्रापकी जानकारी में लाना चाहंगा कि जब 1917 में सुन्दरलाल डागा की प्राइवेट कोल माइन्ज थीं धुगुझ में थीं, बलारशा में थी, प्राइवेट म्रोनर्ज ने महाराष्ट्र के लोग, चन्द्रपूर जिले के लोग अण्डरग्राउंड माइन्ज में जाकर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए ग्रान्ध्र से, बिहार से और यू.पी. से मजदूरों को लाया गया ग्रौर उसमें 90 परसेंट मजदूर अनुसूचित जाति के हैं । उन लोगों को रहने के लिए प्लाट दिए गए और उस समय, उप-

सभापति महोदया, उस प्लाट के लिए सलाना ग्राठ आना. उस समय पैसे नहीं र्थ ग्राने में चलता था, 8 ग्राना नोमिनल रेंट उन्होंने लाइसेंसी के रूप में दिय, था ग्रौर उसका 8 ग्राना चार्ज करते थे । मैंने इसकी जानकारी ली - **ग्रौ**र 1917 से तीन-तीन जेनरेशन्ज उन लोगों को, उनसे एडदांस लिया ग्रंपने मकान बनाएं और नेशनलाइजेशन के बाद, 1973 में जब नेशनलाइजेशन हुआ, कोल माइंस हमने पूरी टेक आवर की और कोल इंडिया के नाम से हमने सेंट्रल गर्वनमेंट की एक पब्लिक अंडर टेकिंग बनायी। उसका उद्देश्य था कि देश में ज्यादा-से-ज्यादा कोयला निकले, उसका उत्पादन हो श्रौर मजदूरों को उचित वेतन मिले। एक तरफ स्वर्गीय इन्दिरा जी ने जिस भावना से इस कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया, तो दूसरी तरफ कोल माइंस के ग्रधिकारी उस में अनियमितता कर रहे हैं। उप-सभापति महोदया, वहां "एं" और "बी" ग्रेड का कोयला होता है, लेकिन गुजरात बार्डर से भारी म ता में कोयला पाकि-स्तान भेजा जा रहा है। मैं मंत्री महोदया से कहना चाहंगा कि इस प्रकार की स्मगलिंग उस एरिया में बडे पैमाने पर चल रही है । महोदया, 1973 से नेशनलाइजेशन के बाद 17 साल बीत गये हैं, बहां के मजदूर आराम से रहते थे, काम करते थे, उन्हें कम्पनी की झोर से वाटर सप्लाय ग्रौर इलैक्ट्रिसिटी दी गयी थी, प्राइवेट मैनेजमेंन्ट ने भी प्रोवाइड की थी, लेकिन ग्राज "ग्रोपन कास्ट माइंस'' का नया कंप्सेंट है । वहां कालरी नम्बर-1, कालरी नंबर-2, भ्रौर कालरी नंबर-3 इस तरह तीन कालरीज हैं झौर मैं मंत्री महोदय को बताना चाहंगा कि इन तीन कॉलरीज में चार, साढ़े चार हजार मजदूर काम करते हैं। उनके करीब तीन हजार मकान हैं। एक- एक कालरीज में हजार-बारह सौ मकान हैं। उन मकानों में रहने वाले मजदूरों से कहा गया कि हमें यहां ओपन कास्माइन बनानी है और बगैर किसी प्रोपर नोटिस के

270

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

बुलडोंजर के माध्यम से 24 घंटे के झन्दर उन को साफ कर दिया गया । बहां दो चर्च थीं श्रौर एक मन्दिर था, उनको भी उड़ा दिया गया।

उपसभापति महोदया, आप भी महाराष्ट्र से आती हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप को मालूम ही है कि चन्द्रपुर और गड़चीरूली जिले में नक्सलाइट एक्टिविटीज कितनी है? वहां नक्सलाइट एक्टिविटीज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोकतन्त्र के माध्यम से चुनी गयी सरकार... (व्यवधान).....

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : किस स्टेट में हैं, ये ?

श्री नरेश सी. पुगलियाः महाराष्ट्र में।

श्री चतुरानन मिक्षः : किस डेट में हुम्रा, यह, बता दीजिये ।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): On what date has it occurred?

THE DEPUTY CHAIRMAN: When did the demolition take place?

श्वीनरेश सी. पुगलियाः ग्रारिफ साहब के ग्राने के पहले की घटना है, ग्रभी की नहीं है।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (ग्रान्ध्र प्रदश):डेट क्या है?

श्री नरेश सी. पुगलिया : एक साल पहले की है । उस समय सरकार कोई भी रही हो, लेकिन इस तरीके से ग्रगर गरीब ग्रादमियों के मकान बुलडोज कर दिये जाते हैं, तो यह शर्मनाक बात है । उपसभापति महोदय, हमारा एरिया टोटली सेंसेटिव एरिया है, नक्सलाइट एरिया है और जहां-जहां बह मन्याय और अत्याचार इस प्रकार

से होते हैं ग्रौर राज्य सरकार ग्रौर केन्द्र सरकार जो कि जनता के द्वारा "बेलेट" के माध्यम से चुनी हुई होती है, जब उनकी मदद नहीं कर पाती है, तो वहां के आदिवासी और दूसरे भाई नक्सलवादियों का सहारा लेते हैं। उपसभापति महोदया, जिन लोगों ने यह माफिया चलाया है, उसमें कुछ राज्य सरकार के ग्रधिकारी अपने साथ लिये हैं श्रौर कुछ हमारे जैसे नेता लें लिये हैं । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहंगा कि डब्ल्य सी.एल. में पिछले दस साल ग्रीर खासकर पिछले पांच साल में ग्रापके कोल इण्डिया के लोगों ने कितने बोगस परमिट दिये **ग्रगर ग्राप यह जानकारी लेंगे (समय** की घंटी)....महोदया, यह महत्वपूर्ण **है...**

उपसभापति: महत्वपूर्णतो है, लेकिन ग्राप डिमोलीशन तक ही प्रपने को सीमित रखिये, परमिट पर मत जाइये क्योंकि जो ग्राप का विषय है, वह इसलिये महत्वपूर्ण है कि गरीबों के घर तोड़े गये। ग्राप उसको इघर-उधर से से जायेंगे, तो उसकी वेल्यू झायल्यूट हो जायेंगी।

श्री नरेश सी. पुगलिया : इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ? इसलिये मैंने कहा कि इस माफिया के हृश्य बहुत लम्बे हैं। यह माफिया राज्य की सरकार के प्रविकारियों को प्रपने हाथ में रखता है, हम जैसे नेताओं को प्रपने हाथ में रखता है । मंती महोदय मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ग्रापके मंत्रालय के वरिष्ठ ग्रधिकारी भी उन लोगों की मदद करते हैं ।

उपसभापति महोदया, मैं चौथी बार राज्य सभा में प्राया हूं। मैंने स्पेशल मेंशन के माध्यम से यह विषय उठाया है श्रौर स्पेशल मेंशन के माध्यम से उठाने के बाद तत्कालीन मंत्री महोदय साठे जी ने इस्स्ट्रक्शन दी कि इस बारे में मीटिंग ली जाय। महोदया, ग्राप के चैयरमैन मीटिंग कैंसे लेते हैं, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहुंगा कि नागपुर

Discussion

274

से उन्होंने फलवा दिया कि, एम.एल.ए.; एम.पी. श्रौर कलेक्टर नागपुर आ जायें। श्रापने उनकी सुविधां के लिये हैलीकोप्टर दे रखा है। कोई भी ग्रापकी कम्पनी में हैलीकोप्टर नहीं है, लेकिन डब्ल्यू.सी.एल. को श्रापने हैलीकाप्टर दे रखा है श्रौर हर कोलयरी में उनकी उतरने की जगह है। ग्रब नागपुर से उड़े धुगुश श्रौर धुगुश से उड़े नागपुर । यह सारा 150 किलोमीटर के रेडियस का एरिया है, वाई कार जा सकते हैं, लेकिन बगैर हैलीकोप्टर के नीचे नहीं उतरते ।

इसके साथ ही मंत्री जी प्रगर हम ग्रापको रिक्वेस्ट करें, ग्रापको पत्न लिखें तो हमारे पत्न का जवाब ग्राप ग्रपने सिंगनेचर से देंगे लेकिन डब्ल्यु. सी. एल. के चैंयर-मेन को ग्रगर कोई मेम्बर श्राफ पार्लियामेंट या एम. एल. ए. पत्न लिखता है तो उनकी इतनी कर्टसी भी नहीं कि वह ग्रपने सिंगनेचर से जवाब दें, वह तो प्रपने सर्बोडिनेट या किसी दूसरे हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट के हाथ से जवाब भिजवाते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी या कोई भी मंत्री होता है, श्रगर उसको कोई मेंबर आफ पार्लियामेंट पत्न लिखता है तो वे म्रपने सिंगनेचर से उसका जवाब देते हैं चाहे रेप्लाई निगेटिव रहे या पोजिटिव रहे, लेकिन खुद के साईन से जनाब देते हैं और डब्ल्यू. सी. एल. चेयरमैंन में इतनी भी कर्टसी नहीं है । मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि वह कहां तक पहुंचे हैं और इसका कारण क्या है?

उपसभापति महोदया, 300/-- या 350/- रुपए टन की चीज जब गुजरात बोर्डर से पाकिस्तान में जाती है तो उसकी जो कीमत है उससे ज्यादा पैसा ब्लेक में मिलता है । मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ग्रकेले चन्द्रपुर शहर में 200 गैरज खुले हुये हैं और 200-400 डिपो खुले हुए हैं, कोलयरी का नंबर दो का कोयला वहां झाता है । जो इडस्ट्री बाहर के गांव की हैं, उनके जो परमिट हैं, अगर हजार टन की जरूरत है तो पांच हजार टन का परमिट है, कुछ बोगस परमिट राजनेताओं के रिश्तेदारों के, कुछ आपके वरिष्ठ मधिकारियों के भौर

इस प्रकार से कोयला वहां से ग्राता है। मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की ग्रोपेन कास्ट माइन्स के लिए जमीन की जरुरत थी तो क्या आपका फर्ज नहीं था कि आप उनको प्रोपर-वे में नोटिस देते. उनका ग्राप अरेंजमेंट करते ? ग्रापने ग्रपने रेग्लाई में, जो 7 तारीख का क्वेक्चन था, कहा कि 1120 लोगों के परिवारों को हटाना पड़ा, उनमें से 915 कंपनी के कर्मचारी हैं सौर 205 गैर-कर्मचारी हैं। गैर-कर्मचारी के रिहेबलिटेशन की श्रापने क्या व्यवस्था की कि उनको सौ मीटर का छोटा सा प्लाट दे दिया और जो आपने फिगर दी हैं, जो आपने राशि दी है वह दो हजार रुपया नगदी ग्रौर तीन हजार रुपया दूसरा । मंत्री महोदय, यह ग्रापका बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है । मैं मानता हूं कि इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके अधिकारी कितना गैर-जिम्भेदाराना बतवि करते हैं, इससे स्पष्ट हैं। ब्रब उस धुगुज्ञ कोलयरी से सीमेंट फैक्टरी लगी हुई है, यह 150-200/- रुपए सीमेंट के बोरे की कीमत तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, 70/- रुपए या 72/- रुपए हमारे यहां का रेट है, ग्रगर बीस बोरे सीमेंट लिया तो उसकी कीमत 1400/- या 1500/- रुपए होती है, लेकिन ग्रापके स्टेटमेंट में दिया है कि 3000/ रुपए के बीस बोरे सीमेंट लिया । तो इस प्रकार से इस सदन को गुमराह कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री को गुमराह कर रहे हैं । कितने गैर-जिम्मेदाराना आपके म्रधिकारी हैं?

उपसभापति महोदया, वहां पर 90 परसेंट आपके एम्पलाईज हैं, उनको क्वार्टर में शिफट कर दिया और शिफट करने के बाद उनका ग्राग्युंमेंट है कि जो एम्पलाईज हैं, उनको हमने क्वार्टर दे दिया है श्रौर गैर-एम्पलाईज जो हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए पांच या सात हजार, जो भी हैं, उसका जिक किया है । महोदया, वहां जो भी

[श्री नरेश सी० पूर्णालया]]

मकान थे, वह बीस हजार से लगाकर डेढ लाख की कीमत के मकान थे, उन्होंने अपने खुद के परिश्रम से, खुद के पैसे से मकान बनाए थे । जब मीटिंग बुलाई गई तो हमने चेयरमैंन से विरोध किया कि नहीं, आपको चन्द्रपूर ग्राकर मीटिंग लेनी चाहिए म्रौर जिनके मकान हैं, उनसे बात करनी चाहिए । उन्होंने कहा कि सरपंच से बात करेंगे, एम. एल. ए., एम. पी. से बात करेंगे । ग्रब मकान किसी गरीब आदमी के ग्रौर हमारे जैसे दलाल ग्रगर बीच में पड़कर बात करते हैं तो कितनी गलत बात है। जिस गांव के मुखिया का मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि हमने मुखियां के साईन लिए हैं । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब चेयरमेन हेलीकोध्टर से वहां श्राएनागपुर की मिटिंग में, मैं जानबुझकर नहीं गया और किसी एम.एल. ए., एम.पी. के साईन ले लिए गए, सरपंच के साईन ले लिए गए । मैंने इसका साठे साहब के पास विरोध किया, कंसलटेटिव कमेटी का मैं मेम्बर हं, मैंने वहां भी इसका विरोध किया, ग्रादरणीय मिश्रा जी यहां बैठे हैं , उनको पता होगा । साठे जी ने उस समय कहा कि मैं मीटिंग बलाता हं और उन्होंने मीटिंग बुलाई । उसमें कोल-ईंडिया के चेयरमैन थे, डब्लू. सी. एल. के चेयरमँन थे, सेक्रेटरी, जवॉइंट सेक्रेटरी थे, मैं खदभी वहाँ मौजुद था । उन्होंने कहा कि यह एनकोचमेंट है मैंने कहा कि यह 1973 में नेशनलाइजेशन हुया और वह लोग चालीस साल, पचास साल से वहां हैं, तो यह एनकोचमेंट कैसे हुआ। ? वे बाकायदा उसकी लाइसेंस -फी देते थे, म्राठ ग्राना साल का वे देते थे ग्रौर बाकायदा उनको वाटर-सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कंपनी ने दी थी, बाद में ग्रापकी कंपनी ने दी, तो वह एनकोचमेंट कैसे हम्रा ? ऐसी हालत में साठे जी ने मझसे कहा भ्रौर कोल-इंडिया के चेयरमेन ने उस समय कबूल भी किया कि जब हमने नेशनलाइजेशन किया, उस समय कोलरी टेक-ग्रोवर करते समय में मैं भी गया था श्रौर कोलरी की जो असेट्स थी, उसका वेल्यूएशन किया ।. लेकिन यह दो या तीन हजार मकान थे, इसका हमने कोई बेल्युएशन नहीं किया, इसका हमने कोई कम्पन्सेशन नहीं दिया यह मंत्री महोदय को मैं बताना चाहंगा । साठे

जी के सामने आपके कोल इंडिया के चेयरमैंत ने जब कबूल किया, तब उन्होंने कहा कि हमारे ज्वाइंट सेकेंटरी वहां जाएंगे, रिब्य करके जाएंगे ग्रौर कलेक्टर ग्रौर एस. पी. के माध्यम से, सीं, पी. डब्ल्यु. डी. के माध्यम से जो भी वेल्यएशन होता है उससे हमें 25, 50 लाख रुपए, कोल इण्डिया 500 करोड़ रुपए का धाटा आज तक कर चुकः है, डेढ़ करोड़ रुपया खुद के हेलीकाप्टर पर सालाना खर्च करता है लेकिन गरीब ग्रादमी के मकान का कम्पन्सेशन देने के लिए वह इस प्रकार की बात करते हैं। संती महोदय बता दें कि जिस कवार्टर में उनको शिफ्ट किया है कर्मचारी के नाते रिटायरमेंट के बाद भी क्योंकि 2,5 या 10 साल बाद वह रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट के बाद क्वार्टर उनकी मिल्कियत हो जःएगी, यह मंत्री महोदय हमें आश्वासन दे दे तो झगडा यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, वे लोग एम. एल.ए., एम. पी. को गुमराह करते हैं, उनको क्वार्टर दे दिया है । जो हमारे गैर कर्मचारी हैं उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम लाइट लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो (समय की घंटी)...

उपसभापतिः मंत्री जो को जवाब देने का टाइम तो दीजिए ।

🕐 श्री नरेश सी. पुगलियाः मंत्री महोदय जरूर इस पर जवाब देंगे । मैं मंती महोदय से कहना चाहंगा कि यह मीटिंग चन्द्रपूर या धुगुश में ग्रफेक्टिड लोगों के साथ इन्होंने नहीं ली, नागपूर में चन्द लोगों के साथ मीटिंग लेकर उनका रिकाई उन्होंने स्रापके सामने रख दिया । ग्रापको उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इसमें किसी का विरोध नहीं। मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि एनर्जी डिपार्टमेंट की जो कन्सलटेटिय कमेटी है, उसके कुछ प्रादमी बैठाइए ग्रौर जांच करा लीजिए बुलडोजर से टूटे ग्राधे-ग्राधे मकान आज भी वहां खड़े हैं। इन्होंने जो भी 🗂 मीटिंग ली, उसके बाद साठे जी ने जब यहां से दौबारा कहा तब उब्ल्यू.सी.एल.के चेवरमें न धुगुश गए । वहां की महिलाओं और कर्म-चारियों ने इनका घेराव किया । एक-एक झोंपड़ी में इनको तीन-तीन घंटे नैदल चल-

वाया । उन्होंने उनको ग्राभवासन दिया कि सी. पी. डब्ल्यू. डी. के लोग इसका वेल्यूएपान कर रहे हैं ग्रौर जल्दी ही ग्रापको पैसा मिलने वाला है। इस प्रकार से उन लोगों को गमराह किया है। (समय को घंटो)

अपने उत्तर में इन्होंने कहा 7 तारीख को, कि जो चर्च ग्रौर मन्दिर हटा है उसके लिए हमने एक पर्याय जगह देवी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहंग कि पर्याय जगह इन्होंने एक जगह है, लेकिन किसी प्रकार का चर्च या मंदिर का खर्चा देने की इन्होंने कूबुल नहीं किया है । मंत्री महोदय यह बताएंगे कि चर्च और मन्दिर को, ग्रापके उत्तर के मुताबिक आप पर्याय जगह देकर, उनका । जो भी खर्चा लगा था उसके बिना, ग्राप मन्दिर भौर चर्च∴बना देंगे क्या?

तीसरे, मैडम, मैं कहना चाहंगा कि लीगल पोजिशन, उनके पास जो लीगल ग्रोपींगियन है, यहां से एक ज्वाइंट सैकेटरी गए थे, जन्ते के बाद सी.एम.डी. ते वहां चल।की की । वहां के, उनकी कम्पनी के एक प्राइवेट एडवोकेट मिस्टर मेहाडिया है, उनका ग्रोषीनिशन लिया । मैडम, यदि *ब*ह लीगल डिपार्टमेंट का ग्रोपीनियन होता तो उसमें कोई वजन होता, लेकिन प्राइवेट वकील की स्रोपीनियन, जो कि बिल्कूल इम्पाशल नहीं है, जो कोलियरी के वकील हैं, उन्होंने कोलियरी के इंग्टरेस्ट में दिया है और इस प्रकार से मंत्री महोदय को गुमराह किया है। मैडम, बम्बई में ग्रापको पताहै, 1985 में जब झोंपड़ियों को हाथ लगाया या, तो उस समय वहां वोल्गा टेलिस कोर्ट से स्टे लिया था भ्रौर एक झोंपड़ी no objection. Half an hour is half an hour. को हटने नहीं दिया था । दिल्ली में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या जनता दल इतना पैसा है कि यह स्टेट के वरिष्ट **प्रधिकारियों को, जिले के राजनैता**स्रों अपनी मनमानी करवा लेते हैं ।

मंत्री महोदय, हमारे यहां धुगुश से लगी हुई एक निरोड़ा माइन्स है, एक एग्जाम्पल मैं दुंगा, निरोड़ा माइन्स में बीच में नदी की वजह से स्टेट गवाँट ने एक ब्रिज बनाया । उसमें टोल-टैक्स लगता है। मैंडम, अगर टूक उस पर से ग्राता है तो टोल-टैक्स उस पर लगता है। उसकी रसीद होती है--कितना माल ग्राया, कितने ट्रक हैं । वह रिकार्ड छिपाने के लिए स्टेट गवर्नमैंट की कंडी शन को क्षीच करके एक प्राइवेट ब्रिज बाजू से बना लिया ग्रौर मंत्री महोदय, वे सालांना लाखों टन कोयला वहां से लेजाकर के रिकार्ड बचाते हैं । ग्राप उसकी ग्रभी भी जानकारी ले सकते हैं कि गवर्नमेंट का पक्का बिज होने के बाद, टैम्पोरेरी बिज की क्या जरूरत थी ? इस प्रकार से काला सोना उन खाद्यान्नों से निकालना, मजदूरों को सताना ग्रौर जिन मजदूरों का मकान जबर्दस्ती तोड़ा है, कइयों को सस्पैण्ड किया, कड्यों को डिसमिस किया, कइयों को ट्रांसफ र किया, तो मंत्री महोदय से मैं जानना चाहंगा कि इस प्रकार से लोगों को जो सस्पैंड या टरमिनेट किया है, उसके बारे में मंत्री महोदय विचार करेंगे क्या ? ... (व्यवधान) महोदया, श्राखिरी बात यह है... (म्यवधान)

उपसभापति : बस, ग्रब 10 मिनट रह गए हैं, लट दि मिनिस्टर स्पीक ?

श्री नरेश सी. पुगलियाः मैडम, हमने तो तीन-तीन घंटें तक इस पर चर्चा की है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN; Today we will नाम की जो जर्मलिस्ट है, उन्होंने सुप्रीय finish it in half an hour. (Interruptions) I have

म्राप आद में चर्चा मांग लीजिए

श्री नरेश सी. पुरालियाः मैडम को ग्रौर म्रापके मंत्रालय के वरिष्ठ ग्रगर हिंदूस्तान के सर्वश्रेष्ठ सदन में, ग्रधिकारियों को ग्रपनी पॉकेट में रखकर राज्य सभा में गरीब जनता को न्याय

[श्रो नरेश सी॰ पूर्शलया]

Half-an-hour

नहीं मिल सका तो उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिल सकता ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer.

ग्राप मंती जी को जवाब देने का समय तो दीजिए ।

श्री नरेश सी० पगलिया : उपसभा-पति महोदया, मैं झॉपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो 1120 मकानों के ग्रलावा, दो कोलियरों में करीब दो-ढाई हजार मकान ग्रौर हैं, ग्रगर हमारी मंशा थोड़ी सीभी गलत है तो अापके कोल माइंस के अधिकारी उस ज़िले में काम नहीं कर सकते । यह मैं ग्रापसे दावें के साथ कह सकता हूं लेकिन हमने उनकी बात को यहां पर ें उठाया है । यह हमारा लोक प्रतिनिधि होने के नोते फर्जु है। ग्रगर ग्राप जिले के दौरे पर ग्राएंगे तो मैं सैंकड़ों किसानों को ग्रापके सामने खड़ा कर दूंगा । इन्होंने रातों-रात बुलडोज़र चलाकर वह लैंड ऐक्वायर किंया है । जब जरूरते रही, तब इन्होंने रातों-रात सरकारी मशीनरी लगाकर कब्जा किया है और जब कंपैनसेशन की बात ग्राती है, जब उनको जमीन की कीमत देने की बात आती है तो वह दस साल पहले का रेट लगाते हैं। हमने इस बात की स्रोर साठे जी का ध्यान ग्रार्कालत किया था । उन्होंने बिहार और य्●पी० में लैंड ऐक्विज्जीशन का जो रूल है, स्टेट गवर्नमेंट का जोएक्ट है उसके मुताबिक किसान भाइयों को जमीन का मुग्रावजा देना चाहिए, यह बात स्त्रीकार को थी लेकिन हमारे यहां ग्रभी तक उस हिसाब से लैंड ऐक्वि-जीशन ऐक्ट के हिसाब से उनको मुग्रावजा नहीं दिया जाता है । एक तरफ ग्राप 30 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति बहा से निकलमा चाहते हैं और बदले में गरीब को सिर्फ 5-7 हजार रुपए **देकर** पीछा छुड़ाना चाहते हैं ।

मैडम, में मलंग महादय स जानना चाहूंगा कि एक एकड़ जमीन में कितना कोयला निकलता है और खास करके जो 1125 मकान आपने हटाये हैं, 2000 मकान आप और इटाने वाले हैं इन तीन कालोनियों में, तो जब आप 3000 मकान हटा रहे हैं तो वहां से जो कोयला निकालने की संभावना है वह कितना है और जो आप कम्पन्सेशन देने वाले हैं बह कितना देंगे ?

मैडम, मैं एक बात प्रापको ग्रीर बताना चाहूंगा कि जो 1936 का लिमिटेशन ऐक्ट है, उसके ग्राटिकल 64-65 में विलयरली लिखा है कि प्राइवेट लैंड पर ग्रगर किसी का पोर्ज्जेशन हैता 12 साल बाद उसको वहां से बैदखल नहीं किया जा सकता ग्रीर दूसरे ग्राटिकल 112 में यह कि श्रगर कोई गवर्नमेंट लैंड है ग्रौर 30 साल से ज्यादा किसी का उस पर पोईंशन है तो वह उसका मालिक हो जाता है । यहां तो तीन तीन जनरेशन से लोग रहते हैं । फिर भी मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एनकोचमेंट है । मान लीजिए एन-कोचमेंट भी है किन जो 20000 से एक लाख तक की कीमत के मकान उस जमीन पर बने हुए हैं ग्रौर उस जमीन की ग्रापको आवश्यकता है तो यह कार्मांशयल परपज के लिए ही ग्रापको चाहिए । उसमें से कोयला निकलेगा जिसे ग्राप मार्केट में बेचेंगे । कोई धर्मार्थं संस्था तो है नहीं । तो ऐसी हालत में जहां आप करोड़ों रुपए का नकसान करते हैं वहां उन बेचारे गरीब मजदूरों को, खास करके जो ग्रापके इम्प्लायीज हैं, उनको इस अधिकार से आप क्यों रोकते हैं? श्रापको उस जमीन पर उनको ग्रधिकार देना चाहिए ।

हालांकि मंत्री महोदय ने कहा कि उनके रिकार्ड में नहीं है कि साठे जी ने कोई ऐसी मीटिंग ली थी सी०पी०डब्ल्यू०डी० के वैल्युऐशन के संबंध में लेकिन मेरे रिकार्ड में है । तो जो सी०पी०डब्ल्यू०डी० का वैल्युऐशन है उस हिसाब से हम पेमेंट देंगे । ग्राम पंचायत में यह रिकार्ड होगा क्योंकि वे लोग वहां टैक्स देते हैं । लेकिन ग्राज वह लोग इस बात से मुकर रहे हैं मौर

Whatever the rule

ग्रापको भी गलत रास्ता बतला रहे हैं । मेरा श्रापसे कहना है कि एक तरफ तो को ग्रापके कर्मचारी हैं उनको ग्राप थोड़ा-बहुत कंपंसेशन दे रहे हैं ।

जो कर्मचारी ग्रापके हैं उनको ग्राप बिल्कूल नहीं दे रहे हैं । आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि उन कामगार भाइयों को जो कि उस डब्लू०सी०एल० के कर्मचारी हैं उसको सी०पी० उब्लू०डी० के बैल्युएशन के हिसाब से उनको मुआवजा देंगे या नहीं ग्रौर दूसरे इस प्रकार की बर्बरता ग्रौर बुलडोजर से जिन ग्रधिक।रियों ने यह गलत काम किया है उन अधि-कारियों के ऊपर सी०एम०डी० रहे या जनरल मैंनेजर रहे उन पर श्राप एक्शन लेंगे या नहीं? मेरी आपसे मांग है कि इस पूरी घटना की सी०बी० म्राई० से या पालियामेंट की जो कंसलटेंटिव कमेटी है उस कमेटी के माध्यम से इसकी जांच कराने का उचित ग्राश्वासन देंगे जिससे उन मजदूर भाइयों को उचित न्याय मिल सके ? मैं म्राप को खासकर सभापति महोदय ने इस विषय की गम्भीरता को मदेदनजर रखते हुए इस राज्य समा के सम्मान को मद्दे-मजर रखते हए यहां उठाने की इजाजत दी है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हंग्रौर जिस विषय को यहांचार बार उठाया गया है उस पर भी ग्रगर मंती महोदय गरीब आदमी को न्याय नहीं देते हैं तो वह लोकतंत्र के पीछे नहीं जायेगा बह जायेगा बुलेट के पीछे। इस चीज को गम्भीरता से लीजिए । वह जो गेलेरी में अधिकारी बैठे हैं उनको मालम है कि कचरौली ग्रौर चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवादी कितमी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह उम्मीद करूंगा कि इस विषय को गम्भीरता से लेकर जिनके मकान तोड़े गये हैं उनको उचित मुग्रावजा दिलायें ग्रौर जिन दो इजार मकानों को खाली करवाना है उनका भी उचित मुग्रावजा दिलाने की घोषणा करें। श्रापने समव दिया इसके लिए ग्रापको ধন্যৰাব ।

भी राम भवधेश सिंह (बिहार) : मैं एक-वो सवाल पूछना चाहंगा ।

उपसभाषतिः बाद में ≀ कायदा ऐसा है । (व्यवधान

is, I am going to follow it-I am not going to flout any rule. We have done enough.

भो मुह्म्मद प्रमोन ग्रंसारी (उत्तर प्रदेश): ग्राप कुछ दया करिये ।

उपसभापति : दया की बात नहीं है। कायदे से हाऊस चलता है । हमारे पास नियम की किताब है उसमें लिखा है उसके हिसाब से हम चलते हैं । हाफ एन ग्रावर में जिनका नाम है उन्होंने सवाल उठाया। वह ज्यादा बोले, ठीक है । मंत्री जी जवाब देंगे । उसके बाद ग्राप लोग सवाल पूछ सकने हैं । कोई भाषण मैं नहीं करने दूंगी । जिसने उठाया है वह जानता है इस मसले को । इसी मसले पर बात होगी । पूरे देश के कोले के ऊपर बात नहीं होगी । (व्यवधान)

श्री नरेश सी॰ पुगलिया: जो कोयला स्मगल्ड हो रहा है... (व्यवधान)

उपसमापति

I agree with you that this is a serious matter.

हिन्दुस्तान से श्रगर कोई कोयला दूसरे देश में, पाकिस्तान में स्मगल्ड हो रहा है तो ग्राप चेयरमैन साहब से परमिशन मांगिये । ग्रगर मंत्री जी तैयार होंगे तो उसके ऊपर ग्रच्छी तरह से खुल कर बहस होगी । मगर कानून को नहीं तोड़ना है । जो हमारे नियम हैं हाऊस के उस पर चलना है ।

उर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री ग्रारिफ मोहम्मद खान) : माननीय उपसभापति महोदया, धुगुश कोलरी में बने हुए कुछ मकानों को हटाये जाने से सम्बन्धित यह प्रश्न है। माननीय नरेश पुगलिया जो पहले भी पूछ चुके हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो कुछ माननीय सदस्य नरेश जी ने कहा है

Discussion

प्रगर ऐसे। कुछ हुप्रा है तो यह अत्यन्त गम्भीर बात है। ग्रगर इन मकानों को, कच्ची झोपड़ियों को या जो बस्ती वहां पर थी उनको हटाते वक्त कानून ग्रौर कायदे का घ्यान नहीं रखा गया, जो वेंधानिक प्रक्रिया ग्रपनायी जानी चाहिए थी उस वैधानिक प्रक्रिया को नहीं प्रपनाया गया तो यह अत्यंत गम्भीर बात है। ग्रगर उन लोगों का कानूनी ग्रधिकार, उस जमीन पर जहां वे मकान बने हुए थे उनके पास मालिकाना ग्रधिकार अगर थे ग्रौर उसके बाद उनको मुग्रावजा नहीं दिया गया तो यह भी ग्रत्यन्त गम्भीर बात है।

श्वी नरेश सो० पुगलिया: मैंने कभी नहीं कहा कि उनको मालिकाना प्रधिकार नहीं दिया गया। मैंने कहा कि उनको ग्राट ग्राना के हिसाब से दिया गया। ग्राठ ग्राना देन। कोई ग्रधिकार नहीं होता इसलिए मेहरबानी करके इसको ग्राप मोडिय नहीं।

श्री त्रारिफ मोहम्मद खत्मः मैं बिल्कुल मोड़ नहीं रहा हूं। मुग्रावजा पाने का ग्रधिकार मालिकानां ग्रधिकार से पैदा होता है। मालिकाना ग्रधिकार Whether you own the property or it is because of the lease. पता नहीं ग्राप कैंसे इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं।...ग्रगर माप यह कहेंगे मालिकाना का ग्रधिकार नहीं है तो मालिकाना ग्राधिकार किस चीज से पैदा हुग्रा? उसके नाम पर जमीन है या लीज पर है, यह अलग बात है। मालिकाना श्रधिकार किस चीज से पैदा हुए ? उसके नाम से जमीन है, चाहे वह लीज पर है, यह एक अलग बात है। पहला मुम्रावजा पाने का अधिकार तभी मिलता है जब किसी व्यक्ति का उस पर मालिकाना ग्रधिकार होता है। आप शिकायत कर रहे हैं कि मुम्रावजा नहीं दिया गया। मैं यह बात कह रहा हूं। ग्रगर आपको उस पर एतराज है तो मैं उसको वापस ले लेता हुं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि

मग्रावजा देने से संबंधित मामला चाहे वहां पर मकान हों, झुग्गी-झोंपड़ी हों, छोटी बस्ती जो कुछ भी हों, उनको हटाने से संबंधित जो भी हमारे देश में कानून 👸 संविधान है, उसके अनुसार ही काम होगा। किसी व्यक्ति की इच्छा से, या कोल कम्पनी की इच्छा से, ऐसा नहीं होगा। इच्छा कानून नहीं है। कानून कल्नून है। अगर उस कानून का कही उल्लंघन हुआ है, किसी नियम का उल्लंघन हुन्ना है तो वह गम्भीर बात है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको मैं काटना नहीं चाहता हूं। लेकिन मुझे खेद है कि मेरे पांस जो सूचना उपलब्ध है वह उनकी बात से मेल नहीं खाती है। इसलिए शुरूप्रात में यह भूमिका बांधी है। मैं इस मग्मले में जाने के लिए तैयार हूं। जो सुचना मुझे उपलब्ध कराई गई है, श्रगर वह सही नहीं है श्रौर जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, कानून का उल्लंघन किया गया है तो मैं झापके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे कोई किंतने बड़े पद पर क्यों न हौं, ग्रगर मकानों को हटाते वक्त जो प्रावधान किया गया है, ग्रगर कानून का सम्मान नहीं किया गया है, किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो जो सख्त से सख्त सजा ेंकें।नून के तहत दी जा सकती है वह देने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। जो सुचना मेरे पास है उसको म्राप शांति से सुनिए ।

Discussion

श्वी नरेश सी० पुगलिया : उसको भी ग्राप रिकार्ड पर ग्राने दीजिए । जनता को मालुम होना चाहिए ।

श्री श्रारिक मोहम्मद खान : मैं खुद ही इतनी लम्बी बात कह रहा हूं । प्रगर दोनों में मेल नहीं हैं तो उसकी जांच का दूसरा तरीका भी है । उसकी जांच करदाई जा सकती है प्रगर कानून के तहत जो भी सख्त से सख्त प्रावधान हो सकता है वह किया जा सकता है। ग्रगर गलत सूचना दी गई है तो सख्त से सख्त प्रावधान हो सकता है । मंत्रालय जिसके लिए प्राधिक्ठत है, जो मेरे ग्रधिकार में है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर बस्ती हटाने के लिए पहले नोटिस नहीं दिया गया था । मुझे जो

उपसभापति जी, जो रीहैबलीटेशन पैकेज वहां के लिए बनाई गई थी तो इस संबंध में माननीय सदस्य ने कहा कि 20 बैग सीमेंट 5 हजार रुपये का कैसे हो सकता हुन्।

Discussion

अपसभापतिः तीन हजारः।

श्री द्वारिफ मोहम्मद खान : तीन हजार रुपये कैसे हो सकते हैं। यह सिर्फ 20 बैंग नहीं हैं इसके साथ 5 हजार इंटें भी हैं।... (व्यवक्षान)...लेकिन इसमें 20 बैंग के साथ 5 हजार ईटें शामिल हैं, जो तीन हजार रुपये की हैं। दो हजार रुपया कैश दिया गया है, इससे अलग है।

श्वी तरेश सी. पुनर्लिया '5 हजार इसके, दो हजार रुपये का नकद और बाद में 20 बोरे सीमेंट के 3 हजार रुपये अतिरिक्त रकम दी है। यह ग्रापके उत्तर में ह ग्राप 7 तारीख का उत्तर पढ़ लीजिए ।

श्री ग्ररिफ मोहम्मद खानः मेरे ख्यांल से, उस वक्त हो सकता है कि गलत हो गया हो। लेंकिन सपलीमेंटरी में भी मैंने कहा था कि मैनेंजमेंट ने वहां जो प्रभावित लोग थे उनसे सरपंच ग्राम पंचायत धगुश ग्रौर वहां के एम.एल.ए. श्री श्याम बाबू वानखडे़ की उपस्थिति में उनसे बात की थी ग्रौर यह सहमति व्यक्त की थी कि वे 5 हजार ईटें, कुछ लकड़ी की बल्लियां घर बनाने के लिए या उसके बदले में 2 हजार रुपया देंगे। लेकिन उसके बाद 14 फरवरी, 1990 को मैंनेजमेंट, सरपंच ग्राम पंचायत धुगुशा ग्रौर स्पेशल एक जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ग्रौर जो प्रतिनिधि वहां पर थे उनके साथ बैठकर यह तय किया कि एक्स ग्रेशिया ग्रसिस्टेंस जो यह दी जा रही है इसको बढ़ाकर 2 हजार रुपये नकदी की शकल में, और विलिंडग मैटीरियल वर्ष रुपीज 3000, बिहिंडग मैटीरियल 3000 रुपये का, जिसमें 5 हजार ईटें ग्रौर 20 सीमेंट के कट्टे शामिल होंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि दों चर्च ग्रौर एक मंदिर की बात । मेरे पास जो उपलब्ध सूचना है उसके अनुसार यह पत्र है जो चर्च के जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से लिखा गया है। उसमें है किः

सूचना उपलब्ध कराई गई है उसमें एक जहुं, चार चार नोटिस बस्ती में रहने वालों को दिये गये हैं। मैं विस्तार से सूचना देने के लिए तैयार हूं। जिले के कलेक्टर ने नोटिस दिए हैं । पहला इविक्शन का नोटिस 11-10-86 से लेकर 13-10-86 तक दिया गया है... (न्यवधान) उनको सूचना दी गई कि जहां भर ग्राप रह रहे हैं वह जमीन कोल कम्पनी की है ग्रौर माइनिंग करने के लिए भमि की ग्रावश्यकता है। इसलिए उनसे कहा गया कि इसको खाली कर दो... (व्यवधान) । जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था का सवाल है, मैं इसके विस्तार में जाने के लिए तैयार हूं। कई जगह ऎसी हैं जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हई 🦷 जमीन की जरूरत है, लेकिन बैकल्पिक व्यवस्था नहीं 🖉 । इसके बावजूद भी वह खाली नहीं कराया गया। इस पर में आगे श्राऊंगा दूसरा नोटिस दिया गया है 2 फरवरी, 1988 कों। तीसरा नोटिस दिया गया, 5 मार्च, 1988 को और चौथा नोटिस दिया गया 16-4-88 को उन 42 गैर कर्मचारियों को जो वहां ब्लास्टिक जोन है, जो उसके बिल्कूल नजदीक में रह रहे थे ग्रौर जिनको खाली किया जाना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक था, उनको दिया गया ।इस तारीख... (भ्यवधान)...

Half-an-Hour

उपसभापति . बोलने दीजिए ।... (स्यक्धान)..

श्री स्रारिफ मोहम्मव खानः इस मौके पर यानी 16-4-88 को इन लोगों को नोटिस दिये गये। जिन्होंने उस जगह जहां पर बैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, जाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी या वह सहमति देने के बाद उससे पहले उस जगह को छोड़कर जा चुके थे उनको नोटिस नहीं दिये गये । पहले और चौथे नोटिस के बीच में बहत सारे परिवार जहां उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था ेकी गई थी, वहां चले गये थे या जाने के लिए तैयार हो गये थे या उनकी जाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए चौथे मौके पर जो नोटिस दिये गये वे केवल 42 व्यक्तियों को दिये गये । माननीय सदस्य ने इसी तरह की ग्रौर बात कही।

मैं नीचे से सही करने वाला सूचित करता हूं कि हमारे चर्च न्यू हास्पिटल चर्च की स्थापना 1970 में हुई उसका एरिया बगैर इसकी डिटेल्स है. डब्लू.सी.एल. को ग्रावश्यकता पड़ने से उन्होंने इसके स्थानाग्तरण करने के लिए विनती की । हमने उनकी विनती को स्वीकार करते हुए चर्च हटाने की मंजूरी दी । उसकी जगह पर हमें 100 × 100 की जगह दी गई । डब्लू सी.एल. ने कोई श्रनुचित प्रकरण से, कोई भी बुलडोजर लगाकर गिराया नहीं । हमने खुद ही मंडलीय की ग्रनुमति से, पदाधिक।रियों की प्रनुमति से चर्च को हटाने की ग्रनुमति दी है ग्रांर उसको डब्लू.सी.एल. ने मंजूर किया है ।

अर्थे नरेश सी. पुगलियाः कब का है यह ?

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खानः यह 2 मई, 1990 का है (व्यवधान)।

श्री नरेश सी. पुगलियाः मैं ग्रापकी जानकारी के लिए बताना चाहंगा।(व्यवधान)

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खानः मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात खुद ही कह रह हूं क्योंकि यह चीज आपने पिछली बार उठाई थी तब मैंने कहा था मैं उनसे चेक करूंगा। तो उसके समर्थन में उन्होंने यह डाकूमेंट दिये हैं। मैंने भमिका इसलिए बांधी थी। मेरे पास जितनी सूचना उपलब्ध है वह उससे मेल नहीं खाती श्रौर जो सूचना श्राप दे रहे हैं में उसकी ग्रागे जा कर भी कानूनी जांच कराने के लिए तैयार हूं। इसी तरह से दूसरा पत्न है इस पर भी तारीख नई ंहें। धुगुश कालोनो नम्बर-1 में हमारा खान-दानी हनमान मन्दिर धुगुश श्रोपन कास्ट बनाने से उठाना पड़ा। यह मन्दिर हमः रो राजी-खुझी से हिन्दू पढति के अनुसार उठाया गया तथा इसकी पुनर्स्थापना विधि पूर्वक पांच कुंडी गायती यज्ञ से सुभाष नगर में की गई ग्रोंर मन्दिर में कभी तोड़ फोड़ नहीं की गई। अगर ऐसी कोई शिकायत मिली है तो वह गलत है। (ब्यवधान) मैंने पहले ही कहा है कि इस ् पर भी तारीख नहीं है जागेश जी ।

डा. रत्भाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): तारीख होनी चाहिए।

Discussion

श्री प्रारिफ मोहम्मद खानः मैं यह भी उन्हें बता दूंगा कि रत्नाकर पाँण्डेय जी ने कहा है कि तारीख होनी चाहिए। मैंने तो आपकी शंका को पहले ही झेन्नर किया। मैंने यह दिया है, श्रब पता नहीं कितनी बार श्राप कहलवाना चाहते हैं। एक बात माननीय सदस्य ने कही कि वहां कम्पनी ने अपने किसी वकील से राय ले ली। उन्होंने बाहर से कहीं से राय 🖁 नहीं ली। उनकी राय तो है ही वह राय मैंने ५िछली दफा पढ़ कर के बता दी थी लेकिन मेरे पास दूसरी राय भी है जो भारत सरकार के विधि मंत्रालय की तरफ से दी गई है। यह राय तो सारे डाकमेंट दिखाने के बाद हाल ही में ली गई होगी यह उस वक्त नहीं ली गई होगी। यह तो उनसे ली गई होगी जो डाकमेंट हैं जैसे मिसाल के तौर पर ग्रापने एडवर्स पोजिशन की बात कही। मैं समझता हूं कि जो कानूनी प्रावधान है मैं इस दलीख के पीछे भी नहीं जाना चाहुंगा कि मैं यह कहुं कि वह लोग ग्रदालत में क्यों नहीं गये, मैं समझता हूं कि ग्रगर मैं उस बेचारे गरीब म्रादमीं से यह म्रपेक्षा करूं कि वह कोल इंडिया से कानुनी लडाई लडे तो निश्चित तौर से यहें अनुचित होगा। में उस दलील का सहारा नहीं लेना चाहता हं। हालांकि यह कहा गया है कि एक भी ग्रादमी ने एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं किया हैं (य्यवधान) मैं तो खुद कह रहा हं, मैं ग्रापसे पहले कह रहा हूं, मैं उनसे यह अपेक्षा नहीं करता, इस दलील का सहारा मैं नहीं लुंगा ग्रौर न लेने जा रहा हुं लेकिन वहां पर रहने वालों ने ग्रपनी सहमति दी है शिफ्ट होने के लिए उस जगह से ग्रौर ऐसा कई मीटिंगें करने के 🗸 बाद कहा गया है तो मेरे लिए उस संदर्भ में कोई कार्यवाही करना भी कठिन हो जाएगा और में इस संदर्भ में एक बात ग्रौर खास तौर से कहना चाहता हूं । मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा बल्कि जिला अधिकारियों की तरफ

289 Half-an-hour

290

Discussion

से कोल कम्पनी को यह कहा गया, यह मैं जिला अधिकारियों की तरफ से बता रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह कहा गया कि यह मामेला बार बार उठ रहा है क्योंकि यहां जिले में राजनीतिक प्रति-**इन्दिता है और यह बात आवश्यक** क्यों है जब मैंने पूछा यह गरीब लोग हैं कुछ द्यागे बढ़ेंकरके भी किया जा सकता है तो मुझे यह बताया गया कि उनको कहा गया कि यहां पर जिले में राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण यह मामला बार बार उठता है और इस मामले को जो चीज एक बार चुने हुये प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर तय हुई है ग्रगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन किया गया तो इसके कारण झौर भी ज्यादा समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी, फिर यह मामला कभी भी तय नहीं होगा।

श्री नरेश सो० पुगलियाः एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इस मामले को एम.एल.ए. या सरपंच डिसाइड करेंगे या जिनका मकान टूटा है उनके साथ मीटिंग लेकर डिसाइड करेंगे ?

श्री आरिफ मोहस्मद खाल : ग्रब यह मेरे लिये बड़ा मुझ्किल हो जायेगा म्रगर मैं इस बारे में राय देने लगू कि वहां के एम.एल.ए. या एम.पी. की क्या नीयत है । उनकी क्या इन्टेंभन हैं, व क्या करना चाहते हैं इसके बारे में नरेश जी अपनी राय दे सकते हैं मैं नहीं देना चाहुंगा अपनी राय । मैं उनके प्रति सम्मान रखना चाहूंगा कि वे उस क्षेत्र से चुने हुये प्रतिनिधि हैं तो निश्चित तौर से उन्हें उस क्षेत्र में रहने वालों के हितों के बारे में चिंता होगी ग्रौर में उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे । ऐसी मैं उम्मीद करूंगा । लेकिन मैं फिर कह रहा हुं कि ग्रगर माननीय [.]सदस्य मुझे सूचनाये उपलब्ध करा दें – श्राप स्मर्गलिंग की बात कहते हैं उससे संबंधित यह विषय इस वक्त नहीं हैं, हालांकि उपसभापति जी ने कहा, लेकिन मैं उस पर भी ग्रापसे कहता हूं या बोगस परमिट की बात ग्राप करते हैं

उसके लिये भी मैं ग्रापसे कहता हूं कि अगर आप मुझ कोई भी निश्चत सूचना उपलब्ध करायेंगे चाहे वह निश्चित सूचना कोयले की स्मर्गालग को लेकर हों चाहे वह निश्चित सूचना बोगस परमिट दिये जाने से संबंधित हो चाह वह निश्चित सूचना - मैं कहता हूं कि जांच भी ग्रागे की बात है ग्रगर ग्राप मुझे निश्चित सूचना उपलब्ध करादेंगे जैसे मिसाल के तौर पर एडवर्स पोजेशन के बारे में मुझे कोल कम्पनी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी ने बलेम नहीं किया लेकिन प्रगर ग्राप मुझे ऐंसी दरख्वास्तें लाकर दे दें जहां उनकी तरफ से क्लेम किया गया हो तो फिर हूं कि उसमें कार्यवाही जो कुछ भी संभव है कानून के अल्लगंत तर रक्त निक्षित तौर से मैं प्रापको यकीन दिलाता में कोईं देर नहीं लगायी जायेगी । तो मैं ग्रापसे कह रहा था चाहे बस्ती के हटाने को लेकर ग्रगर किसी कानूनी प्रावधान का उल्लघन किया गया, मुम्रावजे से संबंधित कोई उल्लर्घन किया गया चाहे मामला बोगस परमिट का हो, स्मगलिंग का हो केवल ऐसे साधारणतयाः ग्रारोप लगाने पर नहीं अगर आप निश्चित जानकारी मुझे उपलब्ध करा दें -- ग्रौंर मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी किँ जो हमारी परामर्शवाली संसदीय समिति है उसके सदस्यों के द्वारा आंच करानी हो, अगर झाप कहेंगे सी.बी आई. से जांच कराई जाए तो उसके पास भी मामला भेजने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ।

उपसभध्वति महोदया, इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं क्योंकि मैंने एक चर्च श्रौर एक मंदिर के बारे में कहा है और यहां दो चर्चों का मामला है और यहां से हमारे माननीय चतुरानन मिश्रा जी ने पूछा था कि नोटिंस देते वक्त बैकल्पिक व्यवस्था की बात की गयी थी या नहीं तो बह तो चौथे नोटिस से साफ है। जो बहां काम करने बाले लोग थे उनको प्राथ-पिकता के आधार पर जो कोल इंडिया की ग्रपनी आवासीय व्यवस्था है वहां उसके क्वार्टस दिये गये। वे सिर्फ 207 थे लेकिन बाद में 12 आदमियों ने और क्लेम किया कि हमारे संयुक्त परिवार थे भ्रौर इस

[श्री ग्रारिफ मोहम्द खान]

Half-an-Hour

वक्त इम लोगों ने एप्लीकेंशंस नहीं दी थी 217 लोगों का क्लेम माना तो उसमें गया ग्रौर उनको प्लाट देने के लिये ब्यवस्था की गयी लेकिन एक चर्चने जाने से मना कर दिया। ग्रब मझे विभाग की बताया गया है कि ग्रगर बुल-तरफ से डोजर बलाकर हटाना होता तो जिसने जाने से मन किया है, हालाकि उसके लिये भी वैंकल्पिक व्यवस्था की बात की उसने वैंकल्पिक गयी लेकिन चूंकि व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जाने से मना कर दिया ग्रौर वह ब्लास्टिंग जोन के बिल्कुल नजदीक है लेकिन उसको अभी तक हटाया नहीं गया है, कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की कि जो उनके लिये बैकल्पिक व्यवस्था की गयी है उसको वे स्वीकार कर लें और वहां से हट जायें। यह तो जो सूचना उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैंने ये बात कहीं हैं। लेकिन मैं अपनी पहली बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने अगर इस कानून का प्रावधान (ध्य**क्षधान**) चुंकि मेरे पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री वसन्त साठे जी का नाम-यहां पर लिया गया है ग्रौर उनका नाम लेकर कहा गया कि उन्होंने कोई श्रादेश दिया था तो वह और मैं एक सेकेण्ड में बताना चाहता हूं। फिर में यह कहूंगा कि मेरे पास जो सूँचना है उसके अनुसार उन्होंने ग्रादेश नहीं दिया था, हां मीटिंग के बाद जो श्री नरेश सी० पूर्गालया की उनके साथ बैठक हुई उसके बाद जो फाइल पर लिखा हुआ है वह यह है :

"The Minister of Energy has desired to re-examine the issue and explore the possibility of helping the evicted families to the extent it could be done under the existing laws and guidelines of the Central Government."

श्रब लॉज के मुताबिक जब उसको जानना चाहा, तो उसमें जसा मैंने पहले कह: है श्रापसें, कानूनी परामर्श यह झाया कि अमीन पर मालिकाना घ्रधिकार नहीं माना आ सकता। यह जमीन कोलरीज की है, कोल कम्पनी की है। हां, इस ग्राधार पर कि यह लोग वहां पर बहुत जमाने से रह रहे हैं, इनको एक्स-ग्रेशिया असिसटेंस दी जा सकती है। मगर एक बार फिर मामनीय सदस्य को यह बात कहते हुए कि जो भी इस संवर्भ में जो कुछ भी मैंने कहा है मौर जो उन्होंने कहा है, अगर जो भी निश्चित जानकारी मुझे उपलब्ध करायेंगे, मैं मापके माध्यम से उन्हें विख्वास दिलाना चाहूंगा कि तुरन्त हम कार्यवाही करेंगे, जांच की ग्रगर जरूरत होगी और वह महसूस करेंगे कि इसमें जांच होनी चाहिए, तो वह जांच करेंगे।

मैं ग्रापको यकीन दिलाना चाहूंगा कि पहले चाहे जितना कानूनों का उल्लघन हुग्रा हो, ग्रब से पहले भले ही गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई हों, लेकिन यह सरकार, कानून के प्रति हमारा सम्मान है ग्रौर कानून के किसी प्रावधान का हम उल्लंघन नहीं होने देंगे। ग्रगर गरीबों की बस्तियां कहीं हैं, तो हम उनसे यह भी उम्मीद करेंगे कि वह बड़ी कंपनियों के साथ ग्रदालत में जाकर लड़ें, तभी उनके ग्रधिकारों की रक्षा होगी। बिल्कुल नहीं होगी।

प्रगर श्राप निश्चित तथ्य दिला देंगे, तो उनको अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रगर उतनी अवधि तक जो बहां पर रहते रहे है, जिसक। कानून में प्रावधान है, तो मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूं कि साल भर पहले चाहे जो कुछ हुग्रा हो, लेकिन हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे।

साल भर पहले उनको भले ही वहां से हटा दिया गया हो, लेकिन यह सरकार निश्चित तौर पर इतनी संवेदनशील है कि पुरानी भी ग्रगर कोई गलतियां हों, तो हम उनको सुधार सकें। धन्यवाद ।

उपसभाषति : ग्राप सवाल ही पूछिए। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगी कि ग्रगर इसी विषय पर ग्राप कोई सवाल करना चाहते हैं, तो करें। ग्रगर इसके ग्रलावा कोई दूसरे विषय पर कर रहे हैं, तो इट विल नाट वी ग्रलौड। कोई भूमिका नहीं कोई तकरीर नहीं, सिर्फ सवाल पूछ लीजिए। श्री नरेश सी॰ पुगलिया : माननीय उपसभापति जी, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि लोग प्रतिनिधि एम॰ एल॰ ए. हो या एम॰ पो, उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति मंत्री जी को जितना श्रादर है, उतना हमारा भी ग्रादर है। लेकिन प्रापर्टी तो तीसरे की है ग्रीर उसकी कीमत देना या न देना कोई चौथा लोक प्रतिनिधि डिसाईड करे, यह कहां का तरीका है ?

मैंने अपने भाषण में भी कहा और मंती महोदय ग्राप से व्यक्तिगत मिल कर भी कहा और में ग्राप से जानना चाहूंगा कि ग्रापके कोल माइंस के ग्रधिकारियों ने अर्फक्टेड संस की मीटिंग लेकर यह मामला डिसाईड क्यों नहीं किया ? सरपंच या एम० एल० ए० या एक पटिकुलर एम० एल० ए० और एक एम० पी० के ऊपर क्यों उन्होंने डिपेंड किया ?

तो मैं मंती महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने अधिकारियों को आदेश देकर या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति को भेज कर जो अफैक्टेड पर्संस हैं और जहां तक आपने गरीब आदमियों का कहा है, गरीब मजदूर तो रहां रहता था, वह आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है और किस ढंग से उसे निकाला गया, यह भी पता है। तो उनकी आप इंडिपें-डेंट मीटिंग उनसे लेकर कि उनको फोर्सि-बली निकाला गया कि वह खुद-ब-खुद चले गये, इसकी क्या जांच करेंगे?

दूसरे, एक तरफ जो छोटी झोपड़ी बाले हैं, या जो झापके गैर-कर्मचारी हैं, उनको अब थोड़ा-बहुत जो भी पांच-सात इजार का ग्रापने मुझावजा दिया या एक प्लाट दिया घर बनाने के लिए, वह ठीक है। लेकिन क्योंकि वह ग्रापके कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको ग्रापने क्वार्टर दिया है, इसलिए उनको मुआवजा न देना, यह दो चीजें ग्राखग-ग्रालग है। इसमें डिसपैरिटी क्यों है ?

तीसरे, आपने जो लोगल प्रोपीनियन वी है, मेरी जानकारी के हिसांब से इस बीच में श्रापने ला मिनिस्टी की ग्रोपी- 294

नियन ली है। इसके पहले ग्रापने लीगल अोपीनियन क्यों नहीं ली है?

Discussion

एक माननीय सदस्यः इसका जवाब दीविए।

जगसभाषतिः बाद में।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): I would like to ask a couple of these questions. It was mentioned that the basti people were also present at the time of discussions. Who were the persons who were present there? Were they people who were staying there? Were they all agreed and was any written statement taken from them? Secondly, before their houses were demolished, were they already given compensation, were they given plots or were they ordered to shift to the quarters? Lastly, it has been said that they would be given Rs. 3,000 in the form of bricks and cement and Rs. 2,000 in cash. Was this compensation given before the demolition or after that? As far as I know, I am a tenant or I have been given on 'ease and here is a case, what has been mentioned here by Mr. Puglia... fifty paise were taken earlier by the earlier management and water and electricity were given by this management. If a building has to be demolished all those who stay there are always given free tenements in lieu of the demolition. So I would like to know, if the facts are like this that they are staying for so many years, whether the quarters given to them will be converted into cooperative society and they will be made the owners of these quarters because always when the building is demolished those who were staying there ere always given accommodation, same accommodation, in a new building, without any cost and they are made the owners. I would like to know whether in this case, since coal-mining is commercial, the Government will center this .. (Time Ben rings,)... So that they remain as owners of these quarters.

THE DEPUTY CHAIRMAN :Shrimati Suryakanta Patil

295

म्राप सवाल कर ली जीएग। You are from that area.

श्रीमती सूर्यकांता पार्टल (महाराष्ट्र) : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हं कि जो लोग 1917 से वहां रहते थे, मिलकियत उनकी नहीं थी मैं मानती हूं, मंत्री जी के कहने के अनुसार मिलकियत उनकी नहीं थी, लेकिन जो लोग पूरखों से, सदियों से 1917 से 1990तक वहां रहते थें उनको या तो जबरदस्ती निकाला गया या उनके कहने के ग्रनुसार निकाला गया या उनकी ग्रनमति के ग्रन्-सार निकाला गया यह मंत्री जी जानें या डब्ल्यु-सी. एल. के लोग जानें, लेकिन मान-वीय अधिकारों के अनुसार और आप बम्बई में रहने वाली हैं टेनेंट्स एक्ट के मताबिक जैसे जमेश जी ने कहा, मैं कोई जानकार नहीं हूं, लेकिन मानवीय अधिकारो को जानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जानते हुए, श्रोल्गा टेलिस ने जो दाखिल किया था सरकार के विरोध में, उस निर्णय को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जो से पूछना चाहती हूं कि डब्ल्यू. सी. एल. ने ग्रपने कर्मचोरियों से क्या जबरदस्ती लिखाकर लिया कि जमीन जो है हम अपनी सहमति से छोड़ना चाहते हैं या उनकी श्रन मति उनके दिल से ली गई? कुछ आशकाएं खड़ी होती हैं, तो में मान-मीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन आशंकाओं को दूर करने के लिए क्या ग्राप संसद की कोई कमेटी नियुक्त करेंगे या पंच और सरपंच और एम. पीज ने जो कहा उसी पर निर्भर करेंग ? हम यह चाहते हैं, मैं खुद महसूस करती हूं मैं खुद लेबर युनियन की लीडर हूया कार्यकर्ता हूं, लेबर यूनियन का कामें करते-करते मैं संसद तरू पहुंची हूं, मेरे दिल में यह आशंका है कि उन कर्मचारियों पर निश्चय ही कुछ ज्रन्याय हुआ है। कुछ डब्ल्यू. सी. एल. के लोगों की कांस्पीरेसी है। सरकार ने जो लीमल एडवाइज ली हैं वह बाद में ली है, पश्चात बुद्धि जिसे कहते हैं, यह पश्चात् बुद्धि सरकार के निर्णय में उसकी झांकी दिखाई देरही है, तो जो ग्रासंका हमारे दिल में है उस ग्रासंका

को दूर करने के लिए क्या सरकार इस संसद् की कमेटी नियुक्त करेगी और उस चन्द्रपुर में जहां इन लोगों को हटाया गया ध्रुगुश में उस धुगुश में जाकर हम जान-कारी हासिल करें और हमारे दिल के अन्दर की जो आशंका है उसे आप दूर करने की कोशिश करेंगे, यही में माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं।

उपसभापतिः मिश्र जी, इसी के बारे में कुछ बोलेंगे, वही जगह के बारे में ग्राप बोलेंगे ?

श्री चतुरानन सिक्षः जो इन्होंने कहा है वही बात कहेंगे ।

उपसमापतिः हां, बोलिए।

श्री चतुरानम मिश्र (बिहार) : उप-सभापति महोदया, सिर्फे इसमें प्रश्न पूछना हैइसलिए मैं उसी सीमा तक अपने को महदूद रखता हं। पहली बात यह है कि मंत्री जी ने यह स्पेष्ट नहीं किंया कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, यह तो स्पष्ट हो जाना चाहिए ? ग्रगर कंसलटे-टिंव कमेटी की सब कमेटी को करना है तो वह हो, श्रंगर चीफ लेबर कमिश्नर को करना है तो वह करें या कोई इंडी-पेंडेंट ग्रथारिटीज चाहें तो वह करें जिसमें पुगलिया जी भी शामिल रहें और सारी चीज को देखें, क्योंकि अब तो सारी बात हो गई 🖟 । माननीय मंत्री जी ने किसी चौज़ को इंकार तो नहीं किया है । उन्होंने पाजिटिग्ली रूख लिया कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, तो कौन सी एजेंसी जांच करेगी, मैं यह चःहता ह कि इसको मंत्री जी स्पष्ट कर दें ? तब ग्रगर ग्रधिकारी दोषी होंगे तो सजा होगी, जैसे ग्रभी उन्होंने गारंटी की है। दूसरी बात, जो मैं कहना चाहंगा कि यह झंझटखडा हो रहा है कि कोल इंडिया की कोई पालिसी इस मामले में नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कोई ग्राल इंडिया पालिसी होनी चाहिए । मान लीजिए वह मालिकाना हक हो या बैसे ही जमीन पर बसे हों, श्रगर 20-25 बर्ष से बसे हैं तो एकाएक बुल्डोजर लाकर फेंक तो नहीं देंगे ? इसलिए मैं चाहता हं कि झाल इंडिया

296

पालिसी निर्धारित हो जिसमें एक हूमन टच रहे। मैं मानता हूं कि हटाना हमारे लिए जरूरी है। ग्रगर कोयला नीचे है तो आदमी हटाएंगे नहीं तो वह धंसकर मर नहीं जाएगा और फिर हम आप को दूसरा नोटिस देंगे। इसलिए एक श्राल इंडिया पालिसी निर्धारित हो।

श्रव महोदया, डब्ल्यू. सी. एल. एरिया मध्य प्रदेश में है कि जमीन ले लेते हैं, लेकिन बदले में आप किसी को काम नहीं देते हैं । बंगाल में है कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स में एक एकड़ जमीन लेने पर एक ब्रांदमी को काम देते हैं और कहीं-कहीं दो आदमी को भी देते हैं। बिहार में तीन एकड़ जमीन ले लेंगे तभी हम काम देंगे। नतीजा यह हो रहा है कि पब्लिक रेसिस्ट कर रही है। ग्राप ने यह तो हटा दिया बुल्डोजर से लेकिन जहां दूसरी तरफ भी बुल्डोजर है वहां लोग खड़े हो जाते हैं ग्रौर ग्रापको जमीन नहीं मिलती है आपके प्रोजेक्ट कास्ट दोगुना, तीन गुना हो रही है । कोयला महुंगा होता जा रहा है और हम लोग ग्रराजकता की ग्रोर जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक पालिसी गवर्नमेंट स्नाफ इंडिया की हो । उसके बारे में मंत्री जी कहें कि जिसको हटाया जाए उनको हम मकान बनाकर दे दें । आपने ग्रपने कर्मचारियों के लिए तो कहा कि थह क्वार्टर्स में चले जाएँगे, लेकिन बाकी लोग कहा जाएगे ? इसलिए एक पालिसी होनी चाहिए जिसमें बदले में एक क्वार्टर बने। इतनी बडी-बडी कंपनियां हैं, ग्रगर सौ, दो सौ ग्रादमियों को बसा देंगी तो कौन सा पहाड टट जाएगा । ग्राखिर किसके लिए इतनी बड़ी-बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडर-टेकिंग कंपनियां हम बना रहे हैं ? अगर यह टाटा, बिडला से भी खराब हैं तो ये जल्दी जाएं, यही न पब्लिक चाहेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए छोटे नागपूर में जहां आदिवासी बहुत होते हैं, यह बड़ी समस्यां बन गयी हैं । इसलिए रिहैबिलिटेशन की पालिसी आप तय कर-वाइए । उसी में कम्पेनसेशन का भी तय करवाइए । बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर भी विचार हुआ था, लेकिन वह तय नहीं हो पाया । मैं चाहता हूं कि आप तय करें कि कम्पेनसेशन क्या होगा ? जिस एरिया में जमीन बिकी ; उसकां जो हायऐस्ट रेट होगा, उसके मुताबिक कम्पेन-सेशन होगा । यह सब नहीं है ग्रापके यहां ... (व्यवधान)...हम आप से कह रहे हैं कि देख लीजिए । कहीं एक ग्रादमी को, कहीं दो आदमी का नियोजन करेंगे, यह न करके एक पालिसी निर्धारित की जिए । इसकी गार्रटी दीजिए । हम सब लोगों को बता दीजिए कि सरकार ने यह पालिसी निर्धारित की है ताकि उसके मुताबिक सही ढग से काम चले ।

Discussion

इन्हीं दो बिन्दुम्रों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (*Maharashtra*): Madam Deputy Chairman, here the question is about 400 houses out of 1120 houses demolished. It is a question of only 400 houses. So, I would like to know from the hon. Minister this thing. Out of these 400 houses, there were 200 employees of Coal India and the remaining" 200 were non-employees. These houses have been demolished. Of course, the Coal India will provide accommodation to its employees. But who is going to bear the responsibility of the non-employees?

उपसमापतिः वह बोल चुके हैं। उन्होंने जवाब में कहा है, ग्राप ने सुना नहीं। जो वैंग दिए हैं, जो सीमेंट दी है, वह गैसग उन्हीं लोगों को दिया है।

You are repeating the same thing unnecessarily. He has answered it.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The next point is about the cost of the houses which have been demolished. It varies from Rs. 20,000/- to Rs. 1,50,000/-. Here they are giving the same compensation for the houses which have been demolished. But the cost of the houses varies from Rs. 20,000/- to Rs. 1,50,000/-. How are they going to solve this problem? I would like to know this from the hon Minister.

299 Half-an-hour

[Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav]

The hon. Minister has said that notices had been given. As far as my information goes, notices for the 400 houses which have been demolished have not been given properly. Either they have been shown only on paper or they have not been served What is the record with the hon. Minister?

My next point is that the people who were', living there had been living since 1917. It means that they have been living there for the last 73 years. It has been stated that it was encroachment What is the definition of encroachment?

Those people are living for the last 77 years. And if it is called an en croachment and the process of encroachment is adopted, then the Gov ernment may (not be responsible to give any remuneration to them. Ano ther important thing, Madam, is this : What is the action plan to control the coal mafia gang? My hon. friend has said that they will control the coal mafia gang. Is there any hand of the coal mafia gang to evacuate those people? What is their intention about it? Is there any sur vey with the Coal Ministry as to how many people are involved in the coal mafia gang? Secondly, Madam, is there any coordination between the State Government and the Cen tral Government for the reinstate ment of the people who have been evacuated from the place? What is the reasons for demolition of the houses because the price of that land where the houses were there was just 50 paise per yard? So, what is the benefit of evacuation?

उपसभापति : उन्होंने कहा है । स्राप लोग सुनते नहीं, श्रफसोस की बात है । जिसने सवाल उठाया, उन्होंने शरू में कहा कि इसलिए खाली कराया कि वहां श्रोपेन

कास्ट माइनिंग हो रही है । . . . (ब्यव-धान) . . .

Discussion

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV :That I understand

THE DEPUTY CHAIRMAN • That

means, कि वहां कोयला निकाल रहे हैं ।

SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV: It is "also to be investigated whether actually mining has started at that place or not. Or is it that just to evacuate from the place, the notices have been served and the people have been shifted from that place?

अरं≀ अ।रिफ मोहम्मद खाम : वह ब्लास्टिंग जोन है ।

उपसभापतिः वह ब्लास्टिंग जोन हैं। ग्रभी उन्होंने कहा न, कि वह एक चर्च नहीं हटाया, वह ब्लास्टिंग जोन है ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: In the reply of the Minister. ..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let other people ask the questions.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Madam, I am asking...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, you are not on the right trask. He has already asked...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: In the reply, the Minister has said that on the 2nd May, 1900, the letter from the Church about the agreement has come. It is on the 2nd May, 1990. Either it has come from the Church or it has been forced by somebody else to send such type of letters to the Church or temples. This is the matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now let me put the record straight. Please take your seat. The Minister has

agreed right from the beginning after the hon. Member has raised this issue that whatever information he has with him, he is sharing it with the House. And because there is a disparity between his information and the information provided by Mr. Naresh Puglia, he is going to investigate. Now there is no point in argument. So, if it is for the sake of argument, that is a different thing. But, you have trust in him. And he is always there to be called again.. So, let us not waste the time of the House in asking repeated questions.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: I am not saying that the Minister is not fair. He is very fair. He has assured...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not fair; I said, 'he is there'. I do not know whether he is fair or not, but he is very much there.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The hon. Minister has said that there will be full investigation. I want to know whether the enquiry will be by some legal body or a Parliamentary committee. In which way this enquiry will be held? That is my last question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said everything. What is the point in asking again?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: What type of committee is being appointed? That is my question.

उपसभायतिः चतुरानमं सिश्र जी ने भी वही सवाल किया । मैं त्रापसे फिर निवेदन करती हूं कि जो सवाल ग्रामी तक पूछ गए हैं, मुझे पूरे याद है । उसके प्रलावा ग्रागर किसी ने सवाल उठाया तो f That is where I feel sory. I am a | lawyer. Many good cases are lost by bad argument. That is what has | happened now unfortunately. The | very purpose of raising this issue is whether we can get any compensation to those unfortunate fellows. In our argument, we have lost the whole I track, and we stick to our guns. Mr. Puglia asked something and the | Minister rebutted the whole thing, and finally we come to a stand-still i position. My point is this. Usufructuary rights have been acquired by those people. If you say 'malkin', no. If you go by adverse position, no. But I was there. I am living. I do riot have the ownership of the place. If you go by law, no, I am not the owner of the area. But I am the owner of the house. I have invested some money and I have constructed this house. To that extent.. I am the owner. The site does not belong to me. But there is one point which the Minister has forgotten, the Coal India has forgotten. While acquiring the colliery totally, that point is lost sight of. There is no agreement. This was not made note of, about the inhabitants of the place. Rightly or wrongly, legally or illegally, they have been living there. In the agreement between the private enterprise and the Government of India or the colliery, that part was lost sight of. It is on record. If it was included, they would have got something. If it had not been included, it was a mistake, oversight, by either side. And these people have no voice. If they had voice, they would have said 'Rightly or wrongly, we are here; we have constructed the houses'. This point I would request the hon. Minis^ ter to take note of. I have no ownership. I accept it. But I had invested some money and I had built the house. Yes. You have razed it. I have permitted. Madam, there is one more point which is forgotten here.

There is the 'master and servant' relationship between the colliery-owner and the workers. I am a labourer. I am working in the col-

303 Half-an-hour

[Shri H. Hanumanthappa], liery. If my Managing Director comes to me and asks me, I cannot say 'No', because my bread is dependent on him. If I say 'No', tomorrow, I will lose my bread. This agreement can not be taken as an agreement or an acceptance. Here comes the question of human touch. Even if there is an agreement, even if I had signed, on the basis of which you raze my house, are you right in doing that? If my Managing Director says 'I am razing your house and I am shifting you to a quarter', I agree and I say 'Yes'. If I refuse, I will not be in work tomorrow. On some ground or the other. disciplinary action will be taken against me and I will be dis missed. This aspect has to be taken note of.

Legally, I have no right. I concede straightaway. Ownership. No. Any legal advice will be in favour of the colliery-owner. And legal advice will be in favour of the Energy Ministry. But my point is that what I invested I should get. You had permitted me there. I had been living there, after investing some money in building the house, though I have no right. Now, you are shifting me to a quarter. After my retirement, I have no room. I will be in the streets. When I retire, I have to- vacate that quarter, somebody else will occupy it and I will be in the streets. This point also the hon. Minister should take note of.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are a good lawyer. You have put it very well.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: At least, I am now coming on the line. I think I am able to convince the hon. Minister on these lines.

PROP. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE (West Bengal): This is not Supreme Court.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I have no right to go to the court. I have conceded. I have no right.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Now, please conclude.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): There is no necessity for politics.

SHRI H. HANUMANTHAPPA.-You are totally mistaken. I am not on political grounds.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: This is what I said.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You talk of *somvedansheel*[^] I do not know the exact English translation. If you say you are *samvedansheel*, I want to touch your sensitive nerves. I just want to touch your sensitive nerves so that you can have a human approach to the problem. I want a categorical assurance from the hon. Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all? *Interruptions*) *I* think we have had enough discussion.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am concluding. If this is done, I think everybody will be satisfied. I want to appeal to the hon. Minister, on humanitarian grounds and on the basis of 'master-servant' relationship. The Energy Ministry is a rich Ministry. This is nothing for them. Thia will be a small amount compared to their total expenditure. Justice is being denied to them today. If you feel that justice should be done to them, please do it. I want an assurance from the hon. Minister.

SHRI JAGESH DESAI: He is going to make an announcement.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, he says he has a weak case. He is appealing to the soft corner of your heart. Have mercy, I would say.

राम ग्रवधेश जी, ग्राप एक सवाल पूछ लीजिए।

It is not a question of party. inHalf-an-Hour discussion on points arising out of a question,

represented. We have discussed it lor more than one hour and fifteen minutes.

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE: You have given so much time. Extend it a little ahead.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has not even started. Let him start.

श्री राम ग्रवथेश सिंह : माननीय हनुमं-तप्पा जी ने मेरा काफी काम समाप्त कर दिया है। इसलिए मैं कम समय लूंगा। सबसे पहले मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ग्रपने बुद्धि कौशल से उन्होंने नरेश जी द्वारा उठाए गए सवालों को चतराई से पलट दिया(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not fair- I won't allow. He has been honest to the House. Whatever facts he had, he has placed before the House.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: He is a friend. If he wants to give left-handed compliments, let him give.

श्री राम ग्रबधेश सिंह : "बहुत चतुराई से" मैंने कहा, इसलिए कि उन्होंने जो बात कही, उसमें बहुत पैनी दृष्टि थी और चतुराई थी ! इसलिए जो सवाल है कि दो तरह के लोग हैं वहां पर, एक तो हैं प्रापके कर्मचारी ग्रौर एक हैं गैर-कर्मचारी जिनको उस समय प्राइवेट कंपनी द्वारा बसाया गया था ! ग्रापने ग्रनुभव से मैं ... (ध्यख्यान)

उपसभापति : ग्राप वहां की वात कहिए, ग्रपने ग्रनभव की मत कहिए।

श्वो राम अवधेश सिंह वही मैं कह रहा हूं। एक ही बात सारी जगह है। तो जो गैर-कर्मचारी हैं उनको तो ग्राप कंसेशन दे रहे हैं पूरा, कि वह अपने मकान दूसरी जगह बना लें और रोजी-रोटी कमा लें और अपने बाल-बच्चों के साथ रह सकें लेकिन जो आदमी वह उस जमीन पर 212 RS--11 वस गया उस कोनी के जुर्मीने में, राष्ट्रीय-करण होने से पहले, तो वह रिटायर होने पर कहां जाएगा ? प्रकार रिटायर होंगे तो उनके मकान वन जाएंगे क्योंकि उनको बेतन इतना मिलता है कि वे भ्रासानी से प्रभने मकान बना सकते हैं लेकिन जो कोयला खान के प्रदर मजदूर लोग कान करते हैं जिनके ऊपर वह सारी कंपनी जलती है भौट खानें चलती हैं भौर सारे देश का कर्य चलता है तो उनके रिटायर होने पर मगर प्राप उनको इतना जेपेंसेशन नहीं देते हैं कि वह कहीं दो कमरे या एक कमरे का मकान खड़ा कर लें, तो यह उचित नहीं है ।

Discussion.

महोदया, इन्होंने कहा कि 5000 ईटें, 20-30 बोरी सीमेंट और 3000 श्पए हम इन लोगों को मकान बनाने के लिए देंगे । तो मैं मंत्री महोदय को चैलेंज करता हूं कि वह 5000 ईटों, 20-30 बोरी सीमेंट और 3000 श्पए में इंसान के रहने लायक मकान बनवाकर दिखाएं । नहीं बन सकता है । लेकिन वह कहते हैं कि 5000 ईंटें और 3000 श्पया, इतना हम दे देंगे, ग्राप मकान बना लें । इस जुर्माने में इतनी लागत मैं वह मकान कैसे बनेया, यह समझ के बाहर है ।

महोदया, मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय का दृष्टिकोण समाजवादी रहा है प्रौर इनकी संवेदनशीलता सही प्रथा में गरीबों के प्रति रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में इनकी दृष्टि साफ हो ग्रौर कम से कम ग्राप कंपेंसेशन की बात जो कर रहे हैं, तो ग्राप इतना कंपेंसेशन जरूर दें कि जब वह मजदूर रिटायर हो जाए, बुढ़ापे में जब उसके बाजुग्रों का बल चला जाए, ग्रांखों की रोशनी चली जाए, तब बह कम से कम एक बढ़िया सी झोंपड़ी तो बना ले जिसमें वह प्रपने वाल-बच्चों के साथ रह सके। इतना कंपेंसेशन तो ग्रापका जरूर देना चाहिए।

उपसभापतिः बस हो गवा।

श्री**राम ग्रवधेश सिंह** : इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ... (व्यवधान)

308

उपतमापतिः ठीक 👸 बैठ जाइए ।

Half-an-hour

श्री राम अवधेश सिंहः गैर कर्मचारियों को तो आप कपेंसेशन देंगे डेढ़ लाख या एक लाख । तो जो कर्मचारी हैं उनको भी आप थोड़ी ज्यादा रकम दीजिए । यहीं मैं चाहता हूं । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister.

SHRI T. A. MOHAMMAD SAQHI: In addition to what he has said, I will request the Government to consider. ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please don't make a habit of just getting up. You did it earlier also. This is not a good habit, you just got up to speak. When I came to the Chair and dalled Mrs. Margaret Alva, you just got up. to speak. I was shocked. I thought whether you are Mrs. Margaret Alva or what. Please don't do that. Let the Minister reply-

श्री जारिक सोहम्बद खाल : म'ननीय उपसभापति महोदया, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि ये लोग जो कच्चे घरों में वहां पर रहने वाले थे ग्रौर गरीब वस्ती थी कोयले की खानों में काम करने वाले हैं, निक्तित तौर पर उन्हें वहां से हटाते विक्त न केवल कानूनी प्रत्रियां अपनायी जानी चाहिए बल्कि उनके प्रति पूरी सहानुभूति भी होनी चाहिए । इसीलिए मैंने उत्तर के ग्राखिर में जो कहा था ग्रौर जिस पर दूसरी तरफ से एक दो के रिमा-क्स भी ग्राये थे, इतना ही कहा था कि ग्रगर साल भर पहले कुछ हुग्रा भी है, तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हं आपके माध्यम से कि पूरी सहानुभूति के साथ इस पूरे मामले को देखेंगे । अगर कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ तो वह उल्लंघन करने वाले पर भौ, चाहे मुग्रावजा देने का मामला हो, चाहेबस्ती को हटाने का सामला हो, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हो सकती है वह जरूर की जायेगी ।

दूसरी बात मैंने इसलिए कही कि इस बारे में कितनी साहनुभूति दिखाई, कितनी राशि स्वीकृत की गयी इस पर दो राय हो सकती है। लेकिन तथ्यों के मामले में it is not a matter of opinion. If it is a matter of

opinion there can be two opinions. But if it is a matter of fact, then either one fact is correct or the other fact is correct.

नरेश जी ने जो बातें कहीं वह तथ्यों से सम्बन्धित थीं । इसके बारे में मैंने यह कहा था कि मुझे जो तथ्य उपलब्ध कराये गर्ये हैं वह उससे भिन्न हैं जो नरेश जी ने कराये हैं। उसमें भी मैं दुवारा ये जांच करा ने के लिए तैयार हूं बल्कि मैं तो कह गा कि जांच कराना तो मामले को लम्बा डाल देना होता है, उसकी भी जरूरत नहीं है । इसे लिए मैंने अपने आप को शीध्र हीं कोरेक्ट किया । आप निश्चित तथ्य मझे उपलब्ध करा दीजिए मैं यकीन दिलाता ह कि कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं होगी । ग्रगर जरूरी समझते हैं कि इक्या-यरी भी होनी जाहिए तो मैं श्रापके साथ बैठकर तय कर लुंगा कि आप इसकी इंक्वायरी किस माध्यम से करना चाहते हैं। ग्रगर ग्राप सी॰बी॰ग्राई॰ सेकराना चाहते हैं तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा । अपर आप

श्री झजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : मंती जी ग्राप खुद चले जाइये, तय हो ादेगा। जिस संवदनशालता से अप वात कः रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं आप समय निकाल कर स्वतः चले जाइये, हम सबको विश्वास हो जायेगा। कुछ और करते की जरूरत नहीं है। (अध्यब्रधान)

धी दरेश सी॰ पुगसियाः सदन को ग्राप प सरोसाः । ग्रगर मंत्रो जी खुद जाते हैं तो पूरा सदन ग्रापके साथ है। ग्राप एक दिन के लिए चले जाः ये । (ध्यवधान)

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE: II you agree to an enquiry, supporting a particular version may lead to influencing the inquiry. श्री मरेश सी० पुगलिया : एक सजेशन देना चाहूंगा, मंती जी । हमारे पूरे हाऊस को श्राप पर भरोसा है / ग्राप जाकर किसी एम०एल०ए०, एम०पी० या सरपंच से बात न करके जो डायरेक्टली ग्रफेक्टेड लोग हैं, उनके साथ बात करें जो भी श्राप निर्णय लेंगे पूरा सदन ग्राप के साथ है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मेरी समस्या इस मामले में यह होगी कि आप मुझे तथ्यों को उपलब्ध करा दीजिये। आपने मुझे से कहा कि वहां पर नोटिस नहीं दिये गये, जब कि मेरे पास तारीखें हैं, जिन तारीखों को नोटिस दिये गये। (ध्यवधान)...आपने कहा कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया। जब आप कहेंगे कि मुआवजा नहीं दिया गया, तो दूसरे यादमी यह मानेंगे कि उनके मालिकाना अधिकार हैं, तभी तो मुआवजे का अधिकार बनता है। हां, अगर आप यह कहें...

श्री अनुराहन मिश्र : इल्क्वायरी में ये सब बातें ग्रा जायेंगी । ग्राप जांच करायें....(ब्यवधान)... ग्रपने साथ ग्राप जाइये (ब्यवधान)

र्था आरिफ मोहम्मद खान : मुझे कम्प्रतीट करने दीजिये ।

श्री नरेश सी. पुगलिया ः किसी एम०पी०, एम०एल०ए० से बात न करके जो डायरेक्ट ग्रफेक्टेड लोग हैं, उनसे बात करिये (क्यबधान)

श्री अ।रिफ मोहम्मद खान एक साथ कई लोग बोलेंगे, तो मैं कैसे सुन पाऊंगा।

इसको दूसरी तरह से कहिये। यह मत कहिये कि वहां नोटिस नहीं दिये। यह मत कहिये कि मुग्रावजा दिया जाना चाहिये। अगर ग्राप कानूनी प्रश्न पूछेंगे, तो उसकी वजह से जो जदाब विभाग की तरफ से ग्रायेगा, वही कहूंगा। जो जगह उपलब्ध कराई गयी है, जो प्लाट दिये गये हैं...(ब्यब्ध्यान) Discussion

अगे आरिफ मोहस्मद खातः मैं बता रहा हूं कि जैसे जाधव जी ने कहा, गायद नरेग जी ने भी कहा कि वहां जो मकानों की कीमतें हैं, वह 18 हजार रुपये से लेकर डेढ लाख रुपये तक है।

ग्रब मेरे पास कानून के ग्रन्तर्गत जो प्रावधान है कि ग्रगर किसी मकान को या जगह को लेना है, तो उसकी कीमत का अन्दाजा करने का मेरे पास जो माध्यम कानून में दिया हुआ है, वह यह है कि मैं जिले के कलेक्टर से क हूंगा कि ग्राप इसको कीमत तय करके बतां दीजिये । जिले कलेक्टर ने जो कहा है, उसमें बताया है कि जो सबसे बड़ी कैंटेगरी है, ऐसे घर चार ^{से} लेकर पांच तक हैं श्रौर उनकी कीमत 18 हजार ग्रांर 21 हजार रूपये है। अब ग्रगर मैं यह कहूं कि सभी कुछ गलत है.... (व्यवधान)..देखिये, मुझे चुनौती देने की जरूरत नहीं है। जोगी जी, ग्राप ग्राई० ए०एस० में रहे हैं ग्रीर कलेक्टर व्हे हैं....(व्यवधान)...

अने अजोत जोगों : तरीका गलत है। 18 हजार रुपये में आज कोई कोई मकान बनता है?

डा० त्तनाकर पांश्रेक्षः झाप स्वयं जाकर देख ग्राइये ।

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खाम : मगर मैं चला जाऊंगा, तो याप कहेंगे कि संसदीय परम्परा यह है कि जब सदन चल रहा हो, तो दिल्ली से बाहर नहीं आगा चाहिये। मेरा तो विदेश का कार्य-अम था, ग्राज ही कैंसिल किया है, ग्राज रात ो मुझे जाना था। जिस तरह से मेरे उपर प्रापका विश्वास है, उसमें ग्रापके उपर प्रापका विश्वास है, उसमें ग्रापके उपर मेरा विश्वास है, उसमें ग्राप मुझे तथ्य उपलब्ध करा दीजिये। ग्रापने तथ्य उपलब्ध कराये कि एनर्जी मिनिस्टर का ग्रादेश था, लेकिन एनर्जी मिनिस्टर स कोई ग्रादेश विभाग की फाइल में-नहीं है। "311 Half-an-Hour

312

क्षी नरेश सो० पुगलिस्याः ग्रापने कहा कि ऐसी मीटिंग ही नहीं हुई।

ू श्रो आस्टिफ मोहम्मद खान : ^{पै}ने तो कहा है कि मीटिंग हई है।

, SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): I suppose this rhetoric will not end. I suppose there has to be ah inquiry and only through an inquiry the facts will be revealed and, on the basis of the facts the Govern ment should take action. By declaring our confidence him alone it will be impossible and it is not fair also to involve the Minister in the inquiry. Let there be an inquiry by an agency which you deem to be fit and proper.

*SHRI V. NARAYANASAMY (Pandicherry): Let there be an inquiry by an independent agency.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: That is exactly the point I am making. If you arc asking as Mr. Hanumanthappa has asked, that I should increase the amount of exgratia assistance, then it is a different question. But if you want an inquiry, then the inquiry has to go into the facts of the case. I am merely informing the honourable Member that Shri Ajit Jogi may be right that no house can be built at a cost of Rs. 18,000 to Rs. 21,000 but, as provided under the law if I have to acquire a piece of land, I will have to ask the District Magistrate to make an assessment and evaluate the proper ty which I am going to acquire- It is not a matter of opinion. If somebody does not agree with that, he can go to the court and challenge it. Here the question is whether it is a matter of adverse possession or whether it is a matter of ownership right arising from some lease. Nobody has claimed that he has a lease, nobody has claimed that he was in adverse possession for the period which Shri Puglia has quo ted from the statute. I have been in formed that there is not a single ap plication. Then, inquiry into what?... (Interruptions)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Mr. Minister, an inquiry into the facts —whether notices have been issued, what is the value of the land and how the whole thing was done. It is an inquiry as regards he facts, and that has to be done impartially, with a human touch, of course... (Inttrrup-tions)...)

श्री चसुरानन सिश्च ः मंती महोदय ने स्वयं कहा है कि जो बातें ग्राई हैं, उनको देखते हुए वे जांच कराने के लिये तैयार हैं । ग्रापने कंसलटेटिव कमेटी की बात कही । इसीलिये मैंने कहा कि जो भी जांच करवानी है ग्रांर कौन तथ्य सही है ग्रीर कौन गलत है, यह तो जांच के जरिये ही साबित होगा । वह एजेंसी क्या होगी, कह दीजिये ।

श्री करेक सींे पुगलिया : श्री चतुरानन मिश्र जो, एनर्जी मिनिस्ट्री की कंसलटेटिव कमेटी मेम्बर हैं, उनके नेतृत्व में करा लीजिये।

श्री चतुरानन मिश्रः मेरा होना ठीक नहीं है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let the Minister decide.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Leave is to the Minister to decide.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): My question is whether Coal India has no responsibility to build permanent quarters for the workers

THE DEPUTY CHADRMAN: That is not the point.

SHRI CHATURANAN MISHRA: That is not the point. The point is what has happened. That matter has to be enquired into. Whether permanent quarters have to be given only to 200 workers or 80 million people, that is a different matter.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Madam,

my point is, if a view is to be taken, as suggested by Shri Hanumanthappa, that since they were poor people living in that area we can think in terms of increasing the ex.gratia assistance which we have already given to them, then, it is a different question. But, if there has to be an enquiry, the en airy will go into the question if any .ation of any law, any rule, some has taken place.

HRI GURUDAS DAS GUPTA. *so* propriety.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No .lore argument please. I will adjourn the House.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Such finer aspects of propriety will be looked into, this has to be looked into. There has to be some sense.

PROF. SOURENDRA BHATTA CHARJEE: Adequate compensation.

SHRI T. A MOHAMMED SAQHY: Only humanitarian consideration has to be applied.

र्श्व आसिक संहम्यद खल्ल : मैं फिर यह कह रहा हूं कि यह इतना लम्बा मगमला नहीं है । की ग्रापको कहना चाहला हूं कि जो ग्रापके पास निश्चित जानकारी है, इन्क्वायरी के लिहाज से वह ग्राप हमें दें । हमारी जं परामर्शवाती समिति है, उसकी एक छोटी सब-कमेटी बनाकर उससे यह काम लेंगे । (ध्यञ्धान)...एक ही बक्त में थोड़े ी सब कुछ हो जाता है । परामर्शवाती गमिति की एक छोटी उप समिति बनाकर सको यह काम देंगे । लेकिन इसके पहले ापको....(ध्यवधान) ... SHEIV. NARAYANASAMY: Mean-while please increase the ex-gratia amount.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Every body is agreed. There is no question of mentioning about ex-gratia amount just now.

अो ग्रारिफ मोहम्मद खान : लेकिन इसमें जो ग्राप हिंसाब से उल्लंघन हुआ है, हम चाहेंगे कि ग्राप उसकी निश्चित रूप से जानकारी हमारे पास भेज दें ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Only one point remains, Madam. The Minister has qualified his assurance that some evidence is to be placed. I am not going into the details of evis dence. Whatever agreement has been brought. .. (*Interruptions*) I am taking only one minute. Please have patience. The letter from the church dated 2-5-90 after the question was admitted, speaks volumes.

SHRI AFIF MOHD. KHAN: Please-We have decided to entrust the matter. Or have you started an enquiry right now? The question is: Since this question was raised last time, I had to enquire from them, and I enquired from them. Then they brought it today If you start attributing motives today itself, then, what is the use of holding the enquiry?

SHRI H, HANUMANTHAPPA: I agree with you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have had enough discussion.

The House is adjourned till eleven o'clock tomorrow.

lbs House then adjourned at thirty-three minutes past sevne of the clock tin eleven of the clock on Wednesday, the 16th May, 1990.

MRND-RS 1-212 RS-8-H-9Q